

क्रमांक/आदि0यो0/12/2018-19/1796 नया रायपुर, दिनांक 21/05/2018  
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक/युवतियों को हॉस्पिटालिटी एवं होटल  
मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण संस्था के चयन हेतु  
“रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण युवक/युवतियों को देश की प्रतिष्ठित एवं अनुभवी हॉस्पिटालिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों के माध्यम से प्लेसमेंट लिंकड प्रशिक्षण दिलाया जाना है। प्लेसमेंट लिंकड प्रशिक्षण देने की इच्छुक एवं मान्यता प्राप्त हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थाओं से “रूचि की अभिव्यक्ति” दिनांक 15.06.2018 समय अपराह्न 01:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। संस्था अपना प्रस्ताव उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। इस हेतु नियम एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट [www.tribal.cg.gov.in](http://www.tribal.cg.gov.in) पर अवलोकन की जा सकती है।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)



(जी0आरू0चुरेन्द्र)

संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवक/युवतियों को हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में प्रशिक्षण संस्था के चयन हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" का नियम एवं शर्तें

1. "रूचि की अभिव्यक्ति" में यह दर्शाया जाए कि क्या प्रशिक्षण संस्था चयनित युवक/युवतियों को रायपुर में ही केन्द्र स्थापित कर प्रशिक्षण देना चाहती हैं अथवा अपनी पूर्व स्थापित संस्था में प्रशिक्षण देना चाहती है।
2. उपर्युक्त विवरण के आधार पर प्रशिक्षण देने हेतु इच्छुक संस्थाएं निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी के साथ अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं :-
  1. प्रशिक्षण संस्था का प्रोफाईल ।
  2. हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्था का किसी मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेशन एवं सम्बद्धता प्रमाण पत्र।
  3. संस्था द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एवं सर्टिफिकेट की मान्यता ।
  4. प्रशिक्षण की आवश्यकतानुरूप प्रशिक्षण संस्थान की अद्योसंरचना जिसमें क्लासरूम, हेल्प डेस्क, लायब्रेरी, फ्रंट ऑफिस, कम्प्यूटर लैब आदि का विवरण हो तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए आवासीय एवं मेस सुविधा उपलब्धता की जानकारी ।
  5. प्रशिक्षण संस्थान का इस क्षेत्र में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव ।
  6. विगत पाँच वर्षों में संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों/प्रशिक्षणार्थियों की वर्षवार जानकारी ।
  7. विगत पांच वर्षों में संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों का हॉस्पिटालिटी/होटल मैनेजमेंट क्षेत्र की सेवा में स्थापित होने की जानकारी ।
  8. प्रशिक्षण के अंतर्गत सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण में शामिल सभी मूलभूत सुविधाओं का विवरण।
  9. राज्य के बाहर की संस्था यदि चयन की जाती है तो उन्हें राज्य मुख्यालय रायपुर अथवा राज्य के अन्य बड़े शहरों में नियमानुसार फ्रेंचायजी/ब्रांच स्थापित करना होगा संस्था द्वारा इस संबंध में सहमति पत्र दिया जाना होगा।
  10. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं तथा प्रशिक्षण उपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण की सफलता में प्राप्त अंको के आधार पर प्रतिष्ठित होटल/संस्थाओं आदि में उचित पारिश्रमिक सहित रोजगार/जॉब प्लेसमेंट हेतु वचनबद्धता एवं हैण्ड होल्डिंग इत्यादि किस प्रकार की जावेगी, तत्संबंध में आवश्यक जानकारी ।
  11. प्रशिक्षण शुल्क का ब्रेकअप/पूर्ण विवरण। इसे पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करें।
  12. चयनित/अनुबंधित संस्था को प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान योजना नियम की कंडिका 8(2) के अनुसार किया जाएगा।
  13. अमानत राशि रू० 1,00,000/- का बैंक ड्राफ्ट (वापसी योग्य) जो आयुक्त, आदिवासी विकास के पक्ष में देय हो प्रस्तुत करना होगा ।
  14. PAN No./TAN No. (वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18) की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें।) पूर्व में अनुबंधित संस्था कार्यालय आ.जा. तथा अनु.जा. वि. नया रायपुर के लेखा शाखा से आयकर रिटर्न के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।
  15. विगत तीन वर्षों का चार्टर्ड एकाउण्टेंट का ऑडिट रिपोर्ट ।
  16. अन्य विवरण (जो प्रशिक्षण संस्था देना चाहें)
1. आवेदक संस्था द्वारा उपरोक्त अभिलेख (कंडिका 1 से 15 तक) लिफाफा क्रमांक 01 में तथा वित्तीय निविदा बंद लिफाफा क्रमांक 02 में प्रस्तुत की जावेगी।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

क्रमशः पृष्ठ क्रमांक 2 पर

3. प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 15.06.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे खोले जायेंगे। जिसमें संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों का परीक्षण किये जाने के पश्चात् पात्र पाई गई संस्थाओं को आवश्यकतानुसार पृथक से प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया/सूचित किया जायेगा तथा प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन एवं वित्तीय निविदा (लिफाफा क्रमांक 02) में प्रस्तुत दरों के वेटेज (Weightage) आधार पर संस्था का अंतिम चयन किया जायेगा। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। चयनित संस्था को प्रशिक्षण आरंभ करने के पूर्व अनुबंध करना होगा।
4. योजना का संचालन छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा इस योजना हेतु जारी योजना नियम "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना वर्ष 2013-14 (यथा संशोधित)" के अनुरूप किया जाएगा। योजना नियम विभाग की वेबसाइट [www.tribal.cg.gov.in](http://www.tribal.cg.gov.in) पर उपलब्ध है।

  
(जी0अर0चुरेन्द्र)  
संचालक

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास  
छत्तीसगढ़, नया रायपुर